

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्यों के मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं/सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जांच एवं निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक बाल कल्याण समिति 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं एक बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी न्यायपीठ है। इस न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं।

**बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार हैं:-**

1. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता की 35 वर्ष आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2020 को की जाएगी।
2. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में कम से कम 7 वर्ष तक सक्रिय रूप से कार्यानुभव होना आवश्यक है।
3. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) या मनःचिकित्सा (Psychiatry) या विधि (Law) या सामाजिक कार्य (Social Work) या समाज विज्ञान (Sociology) अथवा मानव विकास (Human Development) में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी (Retired Judicial Officer) होने चाहिए।
4. समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
5. कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि-
  - i. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;
  - ii. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
  - iii. उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है।
  - iv. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रमिक के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
6. राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदि-
  - i. वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो,
  - ii. वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,


- iii. वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन-चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।
7. आवेदक ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार समिति के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
  8. आवेदनकर्ता को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
  9. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान (बाल गृह/आश्रय गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी इत्यादि) के प्रबंधन एवं संचालन से जुड़ा न हो।
  10. आवेदक किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
  11. आवेदक दिवालिया न हो।

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन आदर्श नियम के नियम 87 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे निर्धारित बैठक भत्ता देय होगा।

निम्न वर्णित जिलों में गठित बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	जिले का नाम	पदों का विवरण
1	हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, अजमेर, बारां, बूंदी, चूरू, नागौर, राजसमंद, सिरौही, टोंक, झुंझुनू	प्रत्येक समिति में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिसमें से 1 महिला अनिवार्य)
2	श्रीगंगानगर, झालावाड	प्रत्येक समिति के 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य (जिसमें से 1 महिला अनिवार्य)
3	बाडमेर	समिति में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य (जिसमें से 1 महिला अनिवार्य)
4	करौली,	समिति में 01 महिला सदस्य
5	धौलपुर, जालौर	प्रत्येक समिति में 01 सदस्य

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 28 फरवरी, 2020 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

  
(डॉ. वीना प्रधान)

आयुक्त एवं शासन सचिव एवं  
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति